राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 119/2020

1. महावीर पुत्र मालाराम उम्र 59 वर्ष जाति जाट निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बजरंग पुत्र मालाराम उम्र 51 वर्ष जाति जाट निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

ब–ना–म

1. जयसिंह पुत्र चन्दगी
2. मनीराम पुत्र चन्दगी
3. हरिसिंह पुत्र चन्दगी
4. सरवणी पत्नी चन्दगी
5. डेडा पुत्र कालू
6. मानसिंह पुत्र नानचा
7. सुल्तान पुत्र नानचा

   जाति जाट निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई जरिये शाखा प्रबन्धक।

.......अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री जयप्रकाश सैनी – आवेदकगण की ओर से
2. श्री रोशनलाल सैनी – अनावेदक सं. 7 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

निर्णय

दिनांक 09—03—2021

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 618 रकबा 1.30 है., ख.नं. 977 रकबा 3.73 है. कुल किता 2 कुल रकबा 5.03 है. के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। आवेदकगण बिना किसी बाधा के अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। आवेदकगण की भूमि खसरा नंबर 977 रकबा 3.73 है. के पूर्व में खसरा नंबर 964 रकबा 0.74 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 1 लगायत 7 की खातेदारी में है व खसरा नंबर 977 के दक्षिण में खसरा नंबर 971 रकबा 1.03 है., ख.नं. 968 रकबा 0.45 है., ख.नं. 965 रकबा 0.70 है. स्थित है जो राजस्थान सरकार की खातेदारी में है। खसरा नंबर 964, 965, 968 व 971 के पूर्व में कटान शुदा आम रास्ता करीब 15 फुट चौड़ा स्थित है जो मुख्य सड़क ग्राम दलेलपुरा से नौरंगपुरा जाने वाली से जाकर मिलता है। उक्त कटान शुदा रास्ता 413 गांव नौरंगपुरा में स्थित है। खसरा नंबर 964 रकबा 0.74 है. व ख.नं. 965 रकबा 0.70 है. की भूमि मुख्य रास्ते से सटती हुई है, यह कटान शुदा आम रास्ता आगे चलकर मुख्य सड़क दलेलपुरा से नौरंगपुरा जाने वाली से मिलता है। कटान शुदा मुख्य रास्ते से खसरा नंबर 964 व 965 में प्रवेश किया जाता है व खसरा नंबर 964 के दक्षिणी कौने से व खसरा नंबर 965 के उत्तरी कौने से खसरा नंबर 965 में प्रवेश किया जाता है तथा खसरा नंबर 965 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे चल कर खसरा नंबर 968 में व खसरा नंबर 968 की उत्तरी सीमा से खसरा नंबर 971 में प्रवेश किया जाता है तथा खसरा नंबर 971 की उत्तरी सीमा में से होकर खसरा नंबर 977 में प्रवेश किया जाता है। इस प्रकार आवेदकगण को अपने खेत खसरा नंबर 977 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 971, 768 व 965 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे व खसरा नंबर 964 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है, इसके अलावा आवेदकगण के अपने खेत खसरा नंबर 977 रकबा 3.73 है. में आने जाने के लिए और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदकगण सदैव से इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वाके ग्राम दलेलपुरा स्थित आवेदकगण की भूमि खसरा नंबर 977 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में या मौके पर अन्य कोई रास्ता नहीं है. केवल मुख्य सड़क से खसरा नंबर 964, 965, 98 व 971 में से ही आवेदकगण अपनी भूमि खसरा नंबर 977 में प्रवेश कर सकते हैं अर्थात आवेदकगण को अपने खेत ख.नं. 977 [illegible] 12 फुट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जो दिलाये जाने योग्य है। आवेदकगण को अपने खेत खसरा नंबर 977 रकबा 3.73 है. में आने–जाने, फसल काश्त करने, काटने लाटने आदि के लिए रास्ता नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

होने से भारी परेशानी है। आवेदकगण ना तो आसानी से अपने खेत में आ जा सकते हैं तथा ना ही फसल काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि का साधन पहुंचता है व फसल उपज को काटने लाटने या बेचान हेतु जाने के लिए ट्रेक्टर आदि वाहन नहीं पहुंच पाते हैं जिससे आवेदकगण को बेहद परेशानी होती है एवं उनके लिए अपनी भूमि के अति महत्वपूर्ण अधिकारों का उपयोग उपभोग करना असंभव हो गया है इसलिए आवेदकगण अपनी भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 977 रकबा 3.73 है. में आने–जाने के लिए मुख्य सड़क दलेलपुरा–नौरंगपुरा से खसरा नंबर 964 की दक्षिणी सीमा व 965, 968 व 971 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे अर्थात् कटान शुदा रास्ते से आवेदकगण की भूमि खसरा नंबर 977 में आने–जाने के लिए नजरी नक्श में दर्ज अनुसार 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने की एवं रास्ता मौके पर कायम किये जाने एवं दौराने आवेदन पत्र अगर अनावेदकगण, आवेदकगण द्वारा चाहे गये रास्ते पर कोई निर्माण कार्य कर लेते हैं तो उसे हटवाये जाने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम दलेलपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 964 रकबा 0.74 है. में अनावेदक सं. 1 से 7 खातेदार है। अनावेदक सं. 7 बिना किसी बाधा के खसरा नंबर 964 में शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अनावेदकगण को कटान शुदा मुख्य रास्ता खसरा नंबर 413 से नजरी नक्शे के मुताबिक अनावेदकगण के खसरा नंबर 964 के दक्षिणी कौने से खसरा नंबर 965 में प्रवेश करते हुए रास्ता दिया जाना स्वीकार्य है तथा अनावेदकगण के खसरा नंबर 964 के दक्षिणी कौने जहां से कटान शुदा मुख्य रास्ता खसरा नंबर 413 खसरा नंबर 965 में प्रवेश करता है को छोड़कर खसरा नंबर 964 की दक्षिणी सीमा व मेड से छेड़छाड़ न किया जाना स्वीकार्य है।

अनावेदकगण सं. 1 से 6 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं [illegible] जवाब अवसर प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अनावेदक सं. 9 [illegible] पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:07 IST
Reason: SelfAttested

Riy

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2020/102 दिनांक 12.01.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है :–

1. खसरा नंबर 977 रकबा 3.73 है. वाके ग्राम दलेलपुरा की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड आवेदक संख्या 1 महावीर पुत्र मालाराम हिस्सा 1/4, आवेदक सं. 2 बजरंगलाल पुत्र मालाराम हिस्सा 1/4, आवेदक सं. 3 श्रीमती जडाव देवी पत्नी स्व. मालाराम हिस्सा 1/4, आवेदक सं. 4 रामचन्द्र पुत्र मालाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज है तथा उक्त खातेदार अपनी कृषि भूमि में पक्का रिहायशी मकान बनाकर आबाद है जिससे प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है।
2. आवेदकगण के अपने खेत व रिहायशी मकानों तक आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की जगह सीमाओं पर स्थित पगडण्डी से आना जाना होता आया है।
3. आवेदक द्वारा 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। पटवारी हल्का दलेलपुरा द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है।
4. पंजीयन लिपिकीय अनुसार प्रस्तावित रास्ते में आने जाने वाली भूमि खसरा नंबर 964 में 20x3/2 = 30 वर्गमीटर, ख.नं. 965 में 90x4 = 360 – 30 = 330 वर्गमीटर ख.नं. 968 में 38x4 =152 वर्गमीटर एवं ख.नं. 971 में 8x4 = 32 वर्गमीटर कुल 544 वर्गमीटर की वर्तमान डी.एल.सी. दर 92390/–रू. की बनती है जिसका दुगुना प्रतिकर राशि 184780/–रू. बनती है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, पटवारी हल्का दलेलपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सेफरागुवार का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को खसरा नंबर 977 में पहुंच हेतु रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। खसरा नंबर 977 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 964, 965, 968 व 971 में से प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 12 फुट चौड़ाई में 544 वर्गमीटर आता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 977 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:07 IST
Reason: SelfAttested

Ri4

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 977 रकबा 3.73 है. में जाने के लिए अनावेदकगण सं. 1 से 7 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 964 की दक्षिणी सीमा व खसरा नंबर 965, 968 व 971 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 977 तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 544 वर्गमीटर भूमि की कीमत 92390 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 184780/–रू. अक्षरे एक लाख चौरासी हजार सात सौ अस्सी रूपये आवेदकगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 964 के खातेदार को प्रतिकार की रकम राशि रू.10190/– अक्षरे दस हजार एक सौ नब्बे मात्र अनावेदकगण को नियमानुसार अदा करें तथा राजकीय भूमि खसरा नंबर 965, 968, 971 की प्रतिकार की रकम राशि रू. 174590/– अक्षरे एक लाख चौहत्तर हजार पांच सौ नब्बे मात्र राजकोष में जमा करवायें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 964, 965, 968 व 971 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (खेतड़ी)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:07 IST
Reason: SelfAttested